न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ **(R.A.S.)**

प्रकरण संख्या – 04/2021 अपील
GCMS No. - 2021/251

1. कैलाशचन्द्र पुत्र श्री बद्रीलालजी जाति ब्राह्मण निवासी कनेरा तहसील निम्बोहडा जिला चित्तौडगढ

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमति लीलाबाई पत्नि निर्भयरामजी जाति धाकड निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ

2. ग्राम पंचायत कनेरा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत कनेरा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

रेस्पांडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 473 ग्राम पंचायत कनेरा
निर्णय दिनांक 05.06.2017

उपस्थित :– 1–श्री एस एन सालवी – अधिवक्ता अपीलान्ट

:: निर्णय :: दिनांक :– 29.12.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की प्रस्तुत कर निवेदन किया की वाकै मौजा कनेरा पटवार हल्का कनेरा तहसील निम्बाहेडा की नई खाता नं0 865 की आराजी नं0 2057 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, आराजी नं0 2106 रकबा 0.0800 हैक्टेयर ,आराजी नं0 2107 रकबा 0.1600 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.2900 हैक्टेयर कुल स्थित हैं।

2. उक्त आराजियात अपीलांट की खातेदारी स्वत्व स्वामित्व की आराजियात हैं उक्त आराजियात मे से अपीलांट ने रेस्पांडेन्ट नं0 1 को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 01/05/2017 से उक्त वादग्रस्त आराजियात 0.2900 हैक्टेयर मे से 0.2000 हेक्टेयर भूमि विक्रय कर मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया तथा शेष 0.0900 हेक्टेयर भूमि अपीलांट के खातेदारी व कब्जे काश्त की बदस्तुर रही थी। उक्त आराजियात मे से 0.2000 हेक्टेयर भूमि विक्रय के बाद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र की मौके व कब्जे की समुचित रुप से जांच किये बिना उक्त आराजियात के सम्पूर्ण रकबा 0.2900 हेक्टेयर का नामांतरण संख्या 473 रेस्पोन्डेन्ट नं0 1 श्रीमति लीलाबाई के अकेले के नाम पर खोल दिया, जबकि अपीलांट द्वारा उक्त आराजियात का सम्पूर्ण रकबा 0.2900 हेक्टेयर मे से रकबा 0.2000 हेक्टेयर भूमि ही विक्रय की गई थी, शेष भूमि अपीलांट के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में रखी गई थी, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत कनेरा तहसील निम्बाहेडा द्वारा विक्रयपत्र की जांच किये बगेर,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.12 17:13:33 IST
Reason: SelfAttested

मन मकसुद तरीके से अधिकारो से परे जाकर वादग्रस्त आराजियात के सम्पूर्ण रकबे का नामांतरण रेस्पांडेन्ट नं० 1 द्वारा अपने अकेले के नाम नामांतरण स्वीकृत करा लिया जो विधी विरुद्ध होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

3. वादग्रस्त आराजियात के रकबा 0.0900 हेक्टेयर पर शांतिपूर्ण तरीके से कब्जा चला आ रहा है व रेस्पांडेन्ट नं० 1 का रकबा 0.2000 हेक्टेयर पर शांतिपूर्ण तरीके से कब्जा चला आ रहा है और इसी अनुसार अपीलांअ व रेस्पांडेन्ट नं० 1 अपने अपने हक हिस्से पर काबीज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा रेस्पांडेन्ट नं० 1 श्रीमति लीलाबाई ने जिसने राजस्व कर्मचारीयो से मिलकर वादग्रस्त सम्पूर्ण आराजी का सम्पूर्ण रकबा 0.2900 हेक्टेयर भूमि का गलग तरीके से अकेले अपने नाम पर नामांतरण स्वीकृत करा वादग्रस्त आराजियात अकेले अपने नाम पर दर्ज करा ली जो विधी विरुद्ध होकर निरस्त होने योग्य है।

4. अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत कनेरा तहसील निम्बाहेडा के उक्त नामांतरण की जानकारी अपीलांट को पूर्व में नही थी, अपीलांट दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र का होकर कानुन की जानकारी नही हैं, तथा पहली बार अपीलांट को अभी हाल ही में बैंक से लोन ले हेतु खाते की नकल की आवश्कता होने पर पटवार हल्का कनेरा से उक्त आराजियात की खाते की नकल लेने हेतु पटवारी हल्का के पास गये तो उक्त नामांतरण की जानकारी पहली बार हुई और जानकारी होते ही नामांतरण की नकल लेने हेतु आवेदन पत्र पेश किया तथा दिनांक 07/07/2021 को नकल मिली और नकल मिलते ही यह अपील पेश की जा रही है। जो जानकारी के अभाव में होने से धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ अंदर अवधि पेश है।

5. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोन्डेन्टस् को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोन्डेन्ट नम्बर 2 की प्रकरण में तामिल की आवश्यकता नहीं होने से रेस्पोन्डेन्ट नम्बर 2 के विरूद्ध एक तरफा कार्यावाही के आदेश दिये गये। रेस्पोन्डेन्ट नम्बर 1 ने कई अवसर बाद भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने से रेस्पोन्डेन्ट नम्बर 1 का जवाब बन्द किया गया।

6. बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया गया। अपीलान्ट ने पत्रावली में दस्तावेजो में ग्राम कनेरा पटवार हल्का कनेरा के नामान्तकरकरण संख्या 473 की प्रमाणित प्रति पेश कि, विक्रय पत्र की प्रति पेश कि, ग्राम कनेरा की जमाबन्दी संवत् 2077–80 की खाता संख्या 865 की प्रति प्रस्तुत की है।

7. अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को आदेशित किया जाता है कि नामान्तरण संख्या 473 ग्राम पंचायत कनेरा को निरस्त किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि रजिस्टर्ड बिकाव नामा की विस्तृत जांच का नये सिरे से नामान्तरण सभी पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर विधिवत कार्यवाही करे।

8. निर्णय आज दिनांक 29.12.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.12 17:13:33 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेडा

9. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। बहस में प्रकट तथ्यों एवं अपील मैमों में वर्णित आधारों पर वादग्रस्त आराजियात मे से अपीलांट ने रेस्पांडेन्ट नं0 1 को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 01/05/2017 से उक्त वादग्रस्त आराजियात 0.2900 हैक्टेयर मे से 0.2000 हेक्टेयर भूमि विक्रय कर मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया तथा शेष 0.0900 हेक्टेयर भूमि अपीलांट के खातेदारी व कब्जे काश्त की बदस्तुर रही थी। उक्त आराजियात मे से 0.2000 हेक्टेयर भूमि विक्रय के बाद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र की मौके व कब्जे की समुचित रुप से जांच किये बगैर उक्त आराजियात के सम्पूर्ण रकबा 0.2900 हेक्टेयर का नामांतरण संख्या 473 रेस्पांडेन्ट नं० 1 श्रीमति लीलाबाई के अकेले के नाम पर खोल दिया, जबकि अपीलांट द्वारा उक्त आराजियात का सम्पूर्ण रकबा 0.2900 हेक्टेयर मे से रकबा 0.2000 हेक्टेयर भूमि ही विक्रय की गई थी, शेष भूमि अपीलांट के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में रखी गई थी, अपीलान्ट की अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.12 17:13:33 IST
Reason: SelfAttested